

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदीं पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2134-JAVITRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND PHARMACY DIVISION, VILL AND POST-KANKAHA, TEH MOHANLALGANJ, LUCKNOW- 226303

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्गमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इर्बी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-49000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क डी प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2300 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक 13-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानूनी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्लीया सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 24-8-2020 को अन्वय प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सन्धि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार काले हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सन्धि की बैठक के मद्-3 में दिल्लीया इन कानूनी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से अन्वय संस्थाओं का उल्लेख किया गया। सम्बद्धता सन्धि द्वारा प्रदान विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

विश्वी क्षेत्र में स्थापित दिल्लीया इन कानूनी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एत सत्र 2020-21 हेतु पीएसीआईई द्वारा उन्हें अन्वय अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सन्धि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एत सर्वसम्पत्ति से पीएसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता सन्धि की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधिकृत प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीएसीआईई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	जयश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड पर्सोनेल डिवीजन, बिल्डिंग एण्ड फील्ड- कानपुर, 200- नरसिंहपुर रोड, लखनऊ।	विप्लव इन कानूनी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीएसीआईई/पीएसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1982, संशोधन विनियमनकारी-2018 तथा अन्य विहित विधायी एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सन्धि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वीड पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय तकनीकी (दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 21,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की शर्तोंक अधीन/प्रदान से प्रदान किया जालेगा। समस्तान के अतिरिक्त 10% प्रस्तावों से शुल्क के अन्वय में समय-समय पर साक्षात द्वारा निर्णय किये जाने वाले शर्तनामों प्रकटी होने, और अनुमोदन आवेदकों किये

(Handwritten Signature)

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिन/परिवद सम्बद्धता/2019/8323

लखनऊ दिनांक 03-08-2019

:- कार्यालय द्वारा :-

साठ उच्चतम न्यायालय में योजित अधिका संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में साठ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 02-08-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवन्ध हुई।

साठ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित नई संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रकल्प सम्बद्धता समिति की बैठक के भव-2 व समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान दिशा-दिशाई कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

साठ उच्चतम न्यायालय में योजित अधिका संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में साठ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा ए0आई0सी0टी0आई, पी0सी0आई0 एवं परिषद से संबंधित समस्त मानकों को सत्र 2020-21 के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें, एवं इस संबंध में संस्थाओं से संपर्क प्राप्त कर लिया जाए कि परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि ए0आई0सी0टी0आई/पी0सी0आई0/परिषद के मानकों/उपकरणों एवं साज-सज्जा में यदि कोई कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे संस्था को कोई अडिक्लि नहीं होगी।

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को सम्बद्धता समिति द्वारा लिखे गये निर्णय के आधारे पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रौ लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन माध्यम एवं उसमें अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमेयित प्रदेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमेयित प्रदेश क्षमता
1	2134	जायेंटी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड पारमैसी डिप्लोमा, डि. ए. रोड फलकटा 200 मेडनसालमंज, लखनऊ	डिप्लोमा इन पारमैसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई/पी0सी0आई0/परिषद द्वारा निर्धारित गरी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंकी 1982 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रा. 30,150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों पारमैसी पाठ्यक्रम हेतु रा. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों अध्यक्रमों (दो वर्षों पारमैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रा. 12,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही संस्था सत्र/पत्र के प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रकों से शुल्क के संबंध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आदेशों/पत्रों, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। क्वीरा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु क्वीरा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परिषद की निर्णयन दरे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्ध दिया जाना) विनियमावली-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों के रिक्त एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को सम्बन्ध-सम्बन्ध एवं निर्देश प्राप्त/आदेशों के अनुसार शिक्षण एवं सम्बद्धता शुरू तथा करना होगा।
- ✓ संस्था को एअरवैण्टिग/एअरवैण्टिग से आरम्भ कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधनी/अधिनियमों/शासन-आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विधि बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी वाटरफुल की संस्थाएँ यदि एअरवैण्टिग/एअरवैण्टिग एवं पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रवाचकित संस्था उन छात्रों और विधियों तथा शर्तों की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी मददात किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संघर्ष में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निष्ठा किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी वाटरफुल संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्रयैक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वयन प्राप्त होने के पूर्व एअरवैण्टिग से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद द्वारा/शासन को वास्तव्य करना होगा अतः प्रवेश हेतु प्रवेश की (कार्यान्वयन के पश्चात् से अथवा संस्था स्तर पर शीटों प्रवेश) अनुमोदित नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निष्ठा संबंधित आदेशों तथा अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जो संस्था की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, इत्यादि किताबें जाने वाली शुरू, प्रायोगिक शुरू आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित वाटरफुल को चलाये जाने हेतु निर्देशक समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अधिनियम, प्रति-सूचना, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि एवं यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वाटरफुल के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य नाम के लिए कर रही है तो उपलब्धता संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनसम्बन्ध कार्यवाही की जावेगी।

(राजीव कुमार शिंदे)
सचिव

पुंनं०- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/8324-8388
 तद् दिनांक 03-08-2019
 प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, प्राविडी इन्स्टीट्यूट ऑफ नैटिवल साइंस एण्ड फार्मसी डिप्लोमा, वि० व
 पी० लखनऊ तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ।

(राजीव कुमार शिंदे)
सचिव